

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: सं.वि.सं. 03 / भर्ती / V.P. ITI & Group Instructor (प्राशिक्षिक) / EP-I / 2018-19

दिनांक : 03.04.2018

आयोग द्वारा प्राधिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत उपचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Vice Principal/Superintendent I.T.I.) के पदों पर तथा राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षित सलाहकार-ग्रुप-II (Group Instructor/Surveyor/Assistant Apprenticeship Advisor-Gr.II) के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

| पद क्र. सं. | पद नाम | कुल पदों की संख्या | अनारक्षित | | | आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------|-------|-----|--------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------|-----|-------------|-----|-------|
| | | | | | | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | पिछड़ा वर्ग | | |
| | | | सा. | महिला | सा. | महिला | सा. | महिला | सा. | महिला | सा. | महिला | सा. | महिला |
| 1 | उपचार्य/अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 45 | 17 | 5 2 0 | 5 | 1 0 0 | 4 | 1 0 0 | 7 | 2 1 0 | 0 | | | |
| Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन – 2 पद (HI-1, LD/CP-1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षित सलाहकार-ग्रुप-II | 34 | 12 | 4 1 0 | 5 | 1 0 0 | 4 | 1 0 0 | 5 | 1 0 0 | 0 | | | |
| Horizontal Reservation – विशेष योग्यजन – 02 पद (B/LV-1, HI-1), भूतपूर्व सैनिक – 4 पद | | | | | | | | | | | | | | |

नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब-साईट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :-

पद क्रम संख्या 1 के लिए –

- i. (a) Second Class Degree in Civil/Mechanical/Electrical/Information Technology/Computer Science/Electronics and Communication Engineering or equivalent qualifications.
- (b) One year professional experience.

नोट:- अभ्यर्थी जिस विषय (Civil, Mechanical, Electrical, Information Technology, Computer Science, Electronics & Communication) से परीक्षा देना चाहता है, उस ऐंकेडिक विषय का चयन आवश्यक रूप से करें।

पद क्रम संख्या 2 के लिए –

- i. (A) Academic:

Secondary with Physics, Chemistry & Mathematics as optional subject under old scheme from any Central/State Board of Secondary Education.

or

Secondary under 10+2 Scheme from any Central/State Board of Secondary Education.

(B) Technical :

Three/two Year Diploma in Engineering/Technology awarded by any State Board of Technical Education.

or

National Trade Certificate in the Trade concern to Engineering/Technology Branch.

or

National Apprenticeship Certificate in Trade concern to Engineering/Technology Branch.

(C) Experience :

Experience in the trade concerned either in Industry or in a Government Department on a Technical post or in a recognized teaching Institution after acquiring qualification of :-

Diploma in Engineering/Technology – 5 Years’.

National Trade Certificate/National Apprenticeship Certificate – 7 Years’.

महत्वपूर्ण सूचना (उक्त दोनों पदों के लिए) – अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र होगा।

ii. (दोनों पदों के लिए) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

| | |
|---|---|
| आयु सीमा – दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। | रनिंग पे-बैण्ड – पद क्र.सं. 1 के लिए – पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-14 पद क्र.सं. 2 के लिए – पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या L-12 |
|---|---|

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

| क्र.सं. | अभ्यर्थियों का वर्ग | अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में) | | |
|---------|--|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | सामान्य | पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग | अधिकतम आयु सीमा नहीं |
| 1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिला | | | 5 |
| 2. | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग की महिला | | | 10 |
| 3. | विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यवता) महिला | | | अधिकतम आयु सीमा नहीं |
| 4. | निःशक्तजन | सामान्य | | 10 |
| | | पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग | | 13 |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग | | 15 |

नोट :-राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सरकारी एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है-

“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

| | |
|----|---|
| 1 | भूतपूर्व केंद्री जो दर्पित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 2 | अन्य भूतपूर्व केंद्री जो दर्पित होने से पूर्व अधिकार्य का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारबाह में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 3 | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 4 | राजस्थान राज्य के कारबाह में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 5 | कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्त परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 6 | रिलीज इमर्जन्सी कमीशन ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्विस कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जायेंगे। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 7 | पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। (पद क्र.सं. 1 व 2 के लिए) |
| 8 | that the upper age limit mentioned above may be relaxed up to a maximum of 5 years with the approval of the Government in case of particular category or categories of posts or individual cases in exceptional circumstances. (पद क्र.सं. 2 के लिए) |
| 9 | सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। (पद क्र.सं. 2 के लिए) |
| 10 | कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। (पद क्र.सं. 2 के लिए) |
| 11 | According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, Ex-servicemen must not have attained the age of 50 years on 01.01. 2019. Provided that in the case of holders of Military Cross/Vir Chakra or any other higher distinction, the upper age limit shall be relaxable by two Years. (पद क्र.सं. 2 के लिए) |

नोट –

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (2) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ष (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय रियायत (जैसे— आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- (3) उक्त दोनों पद आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2019 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण

| | |
|---|---|
| चयन प्रक्रिया | अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वयंवेक से परीक्षा केंद्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी। |
| संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम | यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शोध ही जारी कर दिया जाएगा। |
| आवेदन अवधि | दिनांक 26–04–2018 से दिनांक 15–05–2018 तक 12–00 बजे तक। |
| आवेदन प्रक्रिया | <ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट https://rpse.rajasthan.gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लाम्बित सत्यापन समय रहते हो सके। |
| ऑफलाइन संशोधन | ऑफलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 16–05–2018 से दिनांक 22–05–2018 तक 12–00 बजे तक। |

विशेष नोट :-

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑफलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर बदलने/बच्चे/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मदारी होगी।
- (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाइन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑफलाइन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी कोई भी अधिकार नहीं होगा।

विशेष सूचना :- “यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।”

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिमार में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यवितरण रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145–2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव